राजस्व वाद 48 / 2020
जीसीएमएस नंबर 2020 / 00124
प्रहलादराम बनाम् बरजी वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :48 / 2020

वादीगण–

1. प्रहलादराम पुत्र लालाराम
   जातियान–मेघवाल निवासी–जायल,तहसील जायल जिला– (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. बरजी पत्नी लालाराम
2. फूला देवी पुत्री लालाराम
3. बुली देवी पुत्री लालाराम
4. बाउ देवी पुत्री देवकरण
5. भवंरलाल पुत्र देवकरण
   जातियान–मेघवाल निवासीगण–जायल तहसील जायल जिला – (नागौर)
6. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका , अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री रामप्रकाश बेन्दा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित

निर्णय दिनांक : 22/06/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा जायल तहसील जायल में खेत खसरा नं. 2633 रकबा 1.3840 हैक्टर, खसरा नं. 2680 / 14 रकबा 1.2950 हैक्टर व खेत खसरा नं. 2680 / 15 रकबा 1.2950 हैक्टर व खेत खसरा नं. 2634 / 4 रकबा 0.1619 हैक्टर गैर मुमकीन ढाणी रहती चली आई है। वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत 2065 को वाद पत्र के पैरा संख्या 3 (क व घ) के अनुसार सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 प्रहलाद के हक बंट में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 2633 रकबा 1.3840 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खेत खसरा नंबर 2680 / 14 रकबा 1.2950 हैक्टेयर रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 बरजी देवी के हक बंट मे मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 2680 / 15 रकबा 1.2950 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 2634 / 4 रकबा 0.1619 हैक्टेयर गैर मुमकिन ढाणी रखी गयी है। प्रतिवादी संख्या 2,3,4 द्वारा अपना हक बंट अपने भाईयों के पक्ष में कर देने एवं इनको ससुराल में अन्य भूमि व नगद एवं जेवरात मिलने से इनके हक बंट में कोई हिस्सा नहीं रखा

22/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

गया है। प्रतिवादी संख्या 5 भवंरलाल अपने रिश्ते में काका के गौद दिनांक 11.04.1988 को चले जाने व काका की जमीन हक बंट में आने से अपना हक बंट अपने काका बेटे भाई प्रहलादराम के हक में छोड़ दिया है जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 5 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने दिनांक 24.06.2021 को उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्द राम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेन्दा ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 6 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 6 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह प्रहलादराम पुत्र लालाराम जाति मेघवाल के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम जायल तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 723 प्रदर्श–1 नकल, खाता संख्या 2019 प्रदर्श–2, खाता संख्या 2308 प्रदर्श 3, खाता संख्या 2335 प्रदर्श–4 नकल पेश हुवे। वादी के सगे काका बद्रीराम पुत्र सुरजाराम के फौत पश्चात् वैधिक उतराधिकारी प्रमाण पत्र, छोटुराम मेघवाल, देवकरण मेघवाल, सुरजाराम मेघवाल,बद्रीराम मेघवाल, लालाराम मेघवाल का मृत्यू प्रमाण पत्र , प्रतिवादी संख्या 5 भवंरलाल का गोद चले जाने का गोदनामा इत्यादि प्रस्तुत किये। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा जबाब वाद को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादपत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में वादी संख्या 1 प्रहलाद के हक बंट में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 2633 रकबा 1.3840 हैक्टेयर में से 1.1412 हैक्टेयर भूमि व खेत खसरा नंबर 2680/14 रकबा 1.2950 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 बरजी देवी के हक बंट मे मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 2680/15 रकबा 1.2950

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 2634/4 रकबा 0.1619 हैक्टेयर गैर मुमकिन ढाणी रखी गयी है तथा प्रतिवादीगण सं. 4 से 5 के संयुक्त हक बंट में मौजा जायल के खेत खसरा संख्या 2633 रकबा 1.3840 हैक्टेयर में से 0.2428 हैक्टेयर भूमि उतरी पश्चिमी कोने में रखी गई है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण ने भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 24.06.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 फुला व बुली के ससुराल में हक बंट होने व नगदी एवं जेवरात दिये जाने तथा अपने भाईयों के पक्ष में हक बंट छोड़े जाने का कोई साक्ष्य वादपत्र में सलंग्न नहीं है अतः मामला भूमि हन्तरण का प्रतीत होता है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 24.06.2021 में वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। हमारी राय में मौजा जायल के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 2680/14 व 2680/15, 2634/4 की भूमि को यथावत तथा मुतदाविया शेष खसरा 2633 माफिक राजीनामा अनुसार बंट चाहा है जो पूर्ण रूपेण विभाजन नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 2633 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 12.07.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश जारी किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 12.07.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2256 दिनांक 11.3.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी प्रहलादराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त

उपखण्ड अधिकारी
(आर.ओ.) जायल

बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि पटवारी हल्का जायल एवं भू.अभि. निरीक्षक जायल की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 2, 3 के मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 2,3 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः मौजा जायल तहसील जायल में खेत खसरा नं. 2633 रकबा 1.3840 हैक्टर, खसरा नं. 2680/14 रकबा 1.2950 हैक्टर व खेत खसरा नं. 2680/15 रकबा 1.2950 हैक्टर व खेत खसरा नं. 2634/4 रकबा 0.1619 हैक्टर गैर मुमकीन ढाणी का विभाजन सहखातेदार के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा जायल तहसील जायल में खेत खसरा नं. 2633 रकबा 1.3840 हैक्टर, खसरा नं. 2680/14 रकबा 1.2950 हैक्टर व खेत खसरा नं. 2680/15 रकबा 1.2950 हैक्टर व खेत खसरा नं. 2634/4 रकबा 0.1619 हैक्टर गैर मुमकीन ढाणी का विभाजन सहखातेदार के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 प्रहलाद के हक बंट में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 2633 रकबा 1.3840 हैक्टेयर में से 1.1412 हैक्टेयर भूमि संलग्न नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 2680/14 रकबा 1.2950 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 बरजी देवी के हक बंट मे मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 2680/15 रकबा 1.2950 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नंबर 2634/4 रकबा 0.1619 हैक्टेयर गैर मुमकिन ढाणी रखी गयी है।
3. प्रतिवादीगण सं. 4 से 5 कमश भंवरलाल एवं बाउ देवी के संयुक्त हक बंट में मौजा जायल के खेत खसरा संख्या 2633 रकबा 1.3840 हैक्टेयर में से 0.2428 हैक्टेयर भूमि संलग्न नजरीनक्शानुसार रखी गई है।
4. प्रतिवादी संख्या 2, 3 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 2,3 नियमानुसार स्टाम्प शुल्क राजहक में जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।
5. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
6. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।(रहन होने पर)

निर्णय आज दिनांक 22/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

राजस्व वाद 48/2020
जीसीएमएस नंबर 2020/00124
प्रहलादराम बनाम् बरजी वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 48/2020

वादीगण–

1. प्रहलादराम पुत्र लालाराम
   जातियान–मेघवाल निवासी–जायल,तहसील जायल जिला– (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. बरजी पत्नी लालाराम
2. फूला देवी पुत्री लालाराम
3. बुली देवी पुत्री लालाराम
4. बाउ देवी पुत्री देवकरण
5. भवंरलाल पुत्र देवकरण
   जातियान–मेघवाल निवासीगण–जायल तहसील जायल जिला – (नागौर)
6. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका , अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री रामप्रकाश बेन्दा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हाजरी श्री रामप्रकाश बेन्दा व प्रतिवादी संख्या 6 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा जायल तहसील जायल में खेत खसरा नं. 2633 रकबा 1.3840 हैक्टर, खसरा नं. 2680/14 रकबा 1.2950 हैक्टर व खेत खसरा नं. 2680/15 रकबा 1.2950 हैक्टर व खेत खसरा नं. 2634/4 रकबा 0.1619 हैक्टर गैर मुमकीन ढाणी का विभाजन पक्षकारान् सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है।

22/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 48 / 2020
जीसीएमएस नंबर 2020 / 00124
प्रहलादराम बनाम् बरजी वगैरह

1. वादी संख्या 1 प्रहलाद के हक बंट में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 2633 रकबा 1.3840 हैक्टेयर में से 1.1412 हैक्टेयर भूमि संलग्न नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 2680 / 14 रकबा 1.2950 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 बरजी देवी के हक बंट मे मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 2680 / 15 रकबा 1.2950 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नंबर 2634 / 4 रकबा 0.1619 हैक्टेयर गैर मुमकिन ढाणी रखी गयी है।
3. प्रतिवादीगण सं. 4 से 5 कमश भंवरलाल एवं बाउ देवी के संयुक्त हक बंट में मौजा जायल के खेत खसरा संख्या 2633 रकबा 1.3840 हैक्टेयर में से 0.2428 हैक्टेयर भूमि संलग्न नजरीनक्शानुसार रखी गई है।
4. प्रतिवादी संख्या 2, 3 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 2,3 नियमानुसार स्टाम्प शुल्क राजहक में जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।
5. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
6. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।(रहन होने पर)

निर्णय आज दिनांक 22/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

तीज — मुबलिग — बाबत —खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/6/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्रे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

22/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)